UPSB040004822005

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र

उपस्थित–आलोक यादव,उ0प्र0न्यायिक सेवा–UP02306

मुकदमा नं0–1280 / 2005

राज्य .....अभियोजन

बनाम

वशिष्ठ सिंह कुशवाहा पुत्र कान्ता सिंह, निवासी–मझगवां, थाना–घोरावल, जनपद–सोनभद्र

.....अभियुक्त

अपराध सं0–124 / 1998
धारा–3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955
थाना–घोरावल, जनपद–सोनभद्र।

राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक अधिकारीः–	श्री वी.पी. सिंह
अभियुक्त के अधिवक्ता	श्री धर्मेन्द्र दूबे
घटना की तिथि	28.11.1998
एफ.आई.आर. पंजीकृत किये जाने की तिथि	28.11.1998
न्यायालय द्वारा संज्ञान की तिथि	19.11.1999
अभियोगित अपराध की धारा	3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	25.06.2008
अभियुक्त की दलील	जुर्म से इन्कार
अभियुक्तगण का बयान अं0धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने की तिथि	07.01.2026
आहूत साक्षी	कोई नहीं
बहस का दिनांक	20.03.2026
निर्णय की तिथि	31.03.2026
विचारण का परिणाम	दोषमुक्त
शिकायतकर्ता	श्री वियोधन यादव
अभियुक्त	वशिष्ठ सिंह कुशवाहा

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद अभियुक्त वशिष्ठ सिंह कुशवाहा के विरूद्ध थाना पुलिस घोरावल, जपद–सोनभद्र द्वारा अपराध सं.–124 / 1998, धारा–3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर लिये गये संज्ञान पर आधारित है।

अभियोजन कथानक एवं संक्षिप्त विवरणः–

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा उपजिलाधिकारी, घोरावल,सोनभद्र द्वारा थाना–घोरावल, जनपद–सोनभद्र में प्रार्थना

Digitally signed by ALOK YADAV
Date: 2026.03.28 17:47:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
SBR

पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28.11.1998 को शाम लगभग 7.30 बजे वह बाजार घोरावल से थाना घोरावल की तरफ जा रहे थे कि एक किसान दयाशंकर पुत्र श्री साधूराम निवासी–पिपरवार अपनी साईकिल पर एक बोरी डी.ए.पी. खाद लेकर जा रहा था। दयाशंकर से जब पूछा गया तो उसने बताया कि वह खाद 470/–रू0 में एक बोरी श्री कान्ता सिंह कुशवाहा की दुकान से खरीदा है। श्री दयाशंकर के बयान अंकित कर लिये गये। उसके बयान पर दूकानदार कान्ता सिंह की दूकान पर पूछताछ की गयी। दूकान पर खाद बेच रहे कान्ता सिंह के पुत्र वशिष्ठ कुशवाहा ने बताया कि उसके पास मात्र एक बोरी डी.ए.पी. खाद बची थी जिसे उसने दयाशंकर को 470/–रू0 में बेचा है। वशिष्ठ के बयान अंकित कर लिए गये हैं मौके पर मौजूद महेन्द्र प्रसाद व छोटेलाल के बयान बतौर गवाहान अंकित किये गये जिनके समक्ष एक बोरी डी.ए.पी. खाद का नाम विक्रेता वशिष्ठ द्वारा मु0–470/–रू0 लिया गया है। विक्रेता से कैशमेमों की पूछताछ की गई, किन्तु उसने कहा कि कैशमेमो खत्म हो गया है। विक्रेता वशिष्ठ द्वारा 420/–रू0 प्रति बोरी की डी.ए.पी. खाद मु0–470/–रू0 में बेचा जाना एवं बिना एवं बिना कैशमेमों के खाद बेचना जुर्म है। विक्रेता वशिष्ठ पुत्र कान्ता सिंह को अपनी अभिरक्षा में दिया जा रहा है। सर्वश्री दयाशंकर क्रेता एवं गवाहान महेन्द्र प्रसाद व छोटेलाल का बयान साथ में संलग्न है। वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर थाना–घोरावल,जनपद–सोनभद्र द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–124/1998, अं0धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दर्ज की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहों का बयान लिया, घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना की समस्त औपचारिकताएँ पूरी कर अभियुक्त वशिष्ठ सिंह कुशवाहा उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र अं.धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3– अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया और अपनी जमानत कराया।

4– अभियुक्त को धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ दी गयीं।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 25.06.2008 को आरोप अंतर्गत धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 का विरचित किया गया अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया एवं विचारण की मांग की।

6– **अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैः–**

पी.डब्लू.–1	दयाशंकर	साक्षी
पी.डब्लू.–2	महेन्द्र प्रसाद	साक्षी
पी.डब्लू.–3	रामसुभग	साक्षी
पी.डब्लू.–4	वियोधन यादव	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.–5	लल्लूराम भाष्कर	विवेचक

7– **अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को साबित कराया गया हैः–**

प्रदर्श क–1	दयाशंकर का बयान
प्रदर्श क–2	महेन्द्र प्रसाद
प्रदर्श क–3	फर्द बरामदगी
प्रदर्श क–3	तहरीर वादी
प्रदर्श क–4	वशिष्ठ सिंह कुशवाहा का बयान
प्रदर्श क–5	छोटेलाल का बयान
प्रदर्श क–6	नक्शा–नजरी

प्रदर्श क–7	नक्शा–नजरी
प्रदर्श क–8	आरोप पत्र
प्रदर्श क–9	स्टॉक रजिस्टर

8– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त का **बयान अं.धारा–313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।** अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षी सं0–1 व 5 के बयान के संदर्भ में कथन किया कि झूठी फर्द तैयार की गयी है, झूठा फंसाया गया है तथा साक्षी सं0–2,3,4,6 व 7 के बयान के संदर्भ में कथन किया कि झूठा व गलत है,फंसाया गया है तथा मुकदमा झूठा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया एवं अतिरिक्त कथन में कहा कि निर्दोष है, फंसाया गया है।

9– विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–1 दयाशंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि डी.ए.पी. खाद खरीदने वाली घटना दिनांक 28.11.98 की है, 7.30 बजे शाम का समय था, उसे डी.ए.पी. खाद की जरूरत थी, कुशवाहा खाद भण्डार में डी.ए.पी. खाद होने की जानकारी हुई वह उनके दुकान पर गया। कमला सिंह के लड़के वशिष्ठ सिंह दुकान पर मौजूद थे उसने उनसे डी.ए.पी. खाद के बारे में जानकारी की तो उन्होंने बताया कि एक बोरी खाद उसके यहां मौजूद है उन्होंने कहा कि 470/–रूपये में देंगे। उसने मु0–470/–रू0 देकर खाद खरीदा, क्योंकि उसे खाद की जरूरत थी, खाद खरीदते समय उसके साथ महेन्द्र प्रसाद पुत्र लल्लू ग्राम मरौली व छोटेलाल पुत्र लोलर, निवासी नेवारी थाना चोपन मौजूद थे जिनके सामने उसने मु0–470/–रू0 देकर खाद खरीदा था। जब खाद खरीदकर वह लेकर चला तो उससे डी.डी.एम. घोरावल साहब मिल गये। उससे उन्होंने खाद खरीदने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह खाद उसने मु0–470/–रू0 में वशिष्ठ के यहां से खरीदा है इस पर उसका बयान एस.डी.एम. साहब ने लिख लिया और इस पर उसका दस्तखत कराया। उसने बयान पढ़ करके उस पर दस्तख्त किया था। कागज सं0–3अ/4 पत्रावली में संलग्न है, पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसका बयान लेने के बाद वशिष्ठ सिंह को लेकर एस.डी.एम. साहब थाने चले गये, उस समय डी.ए.पी. खाद की कीमत मु0–420/–रूपये थे, उससे पचास रूपया विक्रेता ने एक बोरी पर ब्लैक लिया था। उसके निशानदेही पर दरोगा जी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उससे पूछताछ किया था।

11. उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि जिस समय वशिष्ठ कुशवाहा के यहां खरीदने गया था, उस समय राजेन्द्र अग्रवाल के यहां कालीन बुनने का कार्य करता था। आज भी राजेन्द्र अग्रवाल के यहां कार्य कर रहा हूं। जिस दिन उसने खाद खरीदा था उस दिन भी राजेन्द्र अग्रवाल के यहां दिन भर कार्य किया था, जाते समय खाद खरीदा था। उस समय खाद की किल्लत थी। रास्ते में उसने पता लगाया कि खाद कहां मिल रही है तो पता चला कि वशिष्ठ के यहॉ खाद मिल रही है। महेन्द्र प्रसाद एवं छोटेलाल को भी वह खाद लादने के लिये बुलाया था। खाद की सूचना उसने एस.डी.एम. साहब को दिया था। राजेन्द्र अग्रवाल पत्रकार भी है। राजेन्द्र खाद की किल्लत के बारे में पेपर में निकाले थे या नहीं, वह नहीं बता सकता क्योंकि वह पेपर नहीं पढ़ता है। राजेन्द्र अग्रवाल को वशिष्ठ के यहां खाद होने की सूचना जानकर एस.डी.एम. साहब को फोन पर दिये थे या नहीं वह नहीं जानता है। एस.डी.एम. साहब वशिष्ठ की दुकान पर बैठकर फर्द लिखे थे। उसने उस कागज पर दस्तखत बनाया था। उसका दस्तखत फर्द पर न हो तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता। केवल वशिष्ठ को पकड़कर एस.डी.एम. साहब थाने पर गये थे। वह थाने पर नहीं गया था। खाद भी नहीं ले गये थे वह अपनी खाद को

लेकर घर चला गया था। खाद को एस.डी.एम. साहब सील मोहर नहीं किये थे। खाद लेकर जाने पर एस.डी.एम. साहब उसे नहीं मना किये थे। वह खाद ले जाकर अपने खेत में छींट दिया था। खाद किस कम्पनी की थी वह नहीं बता सकता है। उसने एस.डी.एम.को खाद खरीदने की रसीद नहीं दिया था। दुकानदार ने उसे कोई रसीद नहीं दिया था। खाद को खरीदने की रसीद उसने नहीं मांगा था। भरौली और मझगवां दोनों गांव आपस में सटे हैं। राजेन्द्र अग्रवाल पत्रकार गांव भरौली के रहने वाले हैं। वशिष्ठ कुशवाहा मझगवां गांव के रहने वाले है। वशिष्ठ एवं राजेन्द्र अग्रवाल के बीच रंजिश थी यह उसे ठीक से याद नहीं है। वशिष्ठ के दुकान से पूरब की तरफ जाने वाले सड़कर पर नहीं पकड़ा था बल्कि दुकान से पश्चिम शिवद्वार वाली रोड पर एस.डी.एम. साहब पकड़े थे। जहां पर पकड़े थे वहां पर आबादी है। वहां पर राजा साहब की खाली भूमि नहीं थी। बरामद माल खाद की बोरी आज अदालत में नहीं लेकर आया है और आज उसकी वह खाद व बोरी दोनो मौजूद नहीं है। एस.डी.एम. साहब ने वशिष्ठ का कोई कागजात उसके सामने नहीं लिया था। वशिष्ठ ने उसे खाद देने के बाद किसी रजिस्टर अथवा कागज पर उसका नाम लिखे थे या नहीं उसे नहीं मालूम है। दरोगा जी कितने दिन बाद उसका बयान लिये थे उसे याद नहीं है।

12– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–2 महेन्द्र प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 28.11.1999 को लगभग 7.30 बजे की है। उसके सामने दयाशंकर, कान्ता सिंह कुशवाहा की दुकान से 470/–रूपये में डी.ए. पी. खाद घोरावल से लेकर आ रहे थे, साथ में छोटेलाल भी थे। तत्कालीन एस. डी.एम. साहब रास्ते में मिले और उन लोगों से पूछने लगे कि यह खाद कहां से लेकर आए हो तो दयाशंकर ने बताया की उसने यह खाद कान्ता सिंह के पुत्र वशिष्ठ सिंह से उनकी दुकान से 470/–रूपये में खरीदा है। एस.डी.एम. साहब ने उससे भी पूछताछ किया तो उसने भी बताया कि दयाशंकर ने उसके सामने वशिष्ठ सिंह से 470/–रूपये में खरीदा है। एस.डी.एम. साहब ने जो उससे बयान लिया था वह पत्रावली में कागज संख्या 3अ/6 है जिस पर वह अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। लगभग एक माह के बाद दरोगा जी ने इस घटना के बाबत उसका बयान लिया था।

13– उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि एस.डी.एम. साहब उससे होड़हथा रोड पर मिले थे। एस.डी.एम. साहब के साथ 4–5 लोग और थे। एस.डी.एम. साहब ने उससे पूछा कि खाद कितने में खरीदा तो उसने बताया कि उसके सामने 470/–रू0 में खरीदा है। वह घटनास्थल के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि घोरावल बाजार बडा बाजार है। घटनास्थल जहां एस.डी.एम. साहब उन लोगों से पूछताछ किये और कोई कार्यवाही नहीं किये थे। दयाशंकर खाद लेकर अपने घर चले गये थे। वह भी अपने घर भरौली चला गया, दयाशंकर उसके रिश्तेदार है। एस.डी.एम. साहब दयाशंकर से खाद खरीदने की रसीद नहीं मांगे थे जिस दुकान से दयाशंकर खाद खरीदे थे वह रसीद नहीं दिये थे। दयाशंकर ने दुकानदार से खाद की रसीद मांगे थे या नहीं उसे नहीं मालूम है। दयाशंकर राजेन्द्र अग्रवाल पत्रकार के यहां नौकरी करते थे। राजेन्द्र अग्रवाल और वशिष्ठ सिंह में रजिश थी या नहीं उसे नहीं मालूम है। भरौली और मझिगाव गांव सटे है। राजेन्द्र अग्रवाल भरौली गांव के हैं। दयाशंकर उसके रिश्तेदार है। एस.डी.एम. साहब वशिष्ठ का बयान नहीं लिये थे और न ही उसके सामने एस.डी.एम. साहब वशिष्ट की दुकान की तलाशी लिये थे। वह वशिष्ठ के दुकान में दयाशंकर के साथ खाद खरीदने नहीं गया था। दरोगा जी उसका बयान एक माह बाद उसके घर पर लिये थे।

14– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–3 रामसुभग ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके सामने अभियुक्त वशिष्ठ सिंह के पिता श्री कान्ता सिंह ने दो अदद रजिस्टर(बिक्री व स्टाक) दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने उससे हस्ताक्षर बनवा लिया था उस पर क्या लिखा था वह नहीं बता सकता। फर्द

बावत कब्जा लेने रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दरोगा जी ने बयान नहीं लिया था।

15. उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करते हुए जिरह की अनुमति मांगी गयी। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह की गयी तो कहा कि साक्षी को 161 दं0प्र0सं0 का बयान सुनाया गया जिससे उसने इन्कार किया और कहां कि दरोगा जी ने कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि स्टाक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर को दरोगा जी ने उसके सामने कब्जे में लिया था। यह भी कहना गलत है कि फर्द पर जो हस्ताक्षर उसने बनाया है उसने पढ़कर बनाया था।

16– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–4 वियोधन यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.11.98 को वह बतौर एस.डी.एम. घोरावल के पद पर तैनात था। उक्त तिथि को वह कस्बा घोरावल से समय लगभग 7.30 बजे शाम को थाना घोरावल की तरफ जा रहा था तभी साइकिल पर एक किसान जिसका नाम दयाशंकर पुत्र साधूराम निवासी–पिपरवार अपनी साइकिल पर एक बोरी खाद डी.ए.पी. लिये हुए था। उसने उसे रोका तथा पूछताछ किया कि खाद आपने से कहां से लिया है उसने बताया कि उसने खाद कान्ता सिंह कुशवाहा की दुकान से लिया है। उसने पुनः पूछा कि यह खाद कितने रूपया में लिया है उसने बताया कि मु0–470/–रूपये खरीदा है। उसका बयान उसी समय उसने नोट कर लिया था उसके साथ श्री कांता सिंह कुशवाहा की दुकान पर पूछताछ के लिए गया। किसान दयाशंकर के साथ अन्य दो व्यक्ति महेन्द्र सिंह व छोटे लाल भी थी जिनके समक्ष उसने कान्ता सिंह की दुकान से खाद खरीदा था तथा पैसे दिया था। उसके द्वारा महेन्द्र सिंह व छोटे लाल के भी बयान उसी समय लिये थे। दयाशंकर, महेन्द्र व छोटे लाल के साथ कान्ता सिंह की दुकान पर जब वह पूछताछ के लिए गया तो दुकान पर कांता सिंह के पुत्र वशिष्ठ कुशवाहा जिन्होंने खाद दयाशंकर को बेची थी वह मौजूद थे। पूछताछ पर वशिष्ठ सिंह ने बताया कि उनके पिता कहीं गये हैं जिनके नाम दुकान है खाद उन्होंने खाद 470/–रूपये में दयाशंकर को बेचा है। उन्होंने यह भी बताया कि खाद का दाम 420/–रूपये प्रति बोरी है। कैशमेमों के संबंध में पूछने पर वशिष्ठ सिंह ने बताया कि कैशमेमों समाप्त हो गया है खाद उन्होंने मु0–470/–रूपये में नकद बेचा है। उसने बताया कि कैशमेमो के बिना व अधिक कीमत पर मूल्य से अधिक विक्रय करना दण्डनीय अपराध है। विक्रेता वशिष्ठ सिंह को थानाध्यक्ष की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया था। उसके द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने हतु थानाध्यक्ष को लिखित तहरीर दे दिया था। पत्रावली में संलग्न का0सं0–25अ/2 एफ.आई.आर. है जो उसके द्वारा दर्ज कराई गयी थी जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिससे वह तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। कागज सं0–3अ/5 बयान वशिष्ठ सिंह जो उसके द्वारा लिया गया है जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। कागज सं0–3अ/7 बयान छोटेलाल है जो उसने लिखा है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17. उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि वह दिनांक 28.11.1998 को तहसील से सायं 7 बजे निकला था। कार्यालय से उसका आवास राबर्टसगंज कस्बे में था। शासन के निर्देश पर खाद की कमी की स्थिति के कारण वह रैण्डम चेकिंग पर जा रहा था। एक बोरी खाद लिये एक व्यक्ति साइकिल पर लिये दिखा, उसने उसे रोक कर पूछताछ किया उसके बाद उसका बयान लिया तथा उसी के साथ दो साथियों का बयान लिया फिर वह उसके बताये स्थान गया जहां से वह खाद लिया था। दयाशंकर ने बताया था कि उसने कांता सिंह की दुकान से खाद खरीदा है जो किसान थे। फिर वह उसे लेकर कांता सिंह के दुकान पर गया जहां पर वशिष्ठ सिंह थे जिसने खाद बेचा था। दुकान का कोई भी प्रपत्र उसने देखा था वह कहीं गये है। उससे दयाशंकर, महेन्द्र प्रसाद व छोटेलाल तीनो वहां पर मिले थे, जहां पर उसे पकड़ा गया था। उसी स्थान पर उसने प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–5 का बयान अंकित किया

था। उसने छोटेलाल व महेन्द्र का बयान प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–5 कांता सिंह की दुकान पर नहीं लिया था। घोरावल बाजार से भरौली गांव की दूरी नहीं बता सकता। इस समय याद नहीं है कि कांता की खाद की दुकान सोनभद्र में कहां पर थी। विवेचक दौरान विवेचना उससे नहीं मिले थे। उसकी निशानदेही पर विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार नहीं किया गया था तथा विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उसका बयान नहीं लिया गया था।

18– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–5 लल्लूराम भाष्कर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 1998 में वह थाना घोरावल में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। दिनांक 28.11.1998 को मु0अ0सं0–124/98,अं0धारा–3/7 ई.सी. एक्ट की विवेचना हेतु नकल चिक, नकल रपट, मय संबंधित प्रपत्र के विवेचना हेतु प्राप्त हुआ उसी दिन केशडायरी पर्चा नं0–1 में चिक की नकल किया। चिक की प्रतिलिपि शामिल रोजनामचा खास किया। कायमी मुकदमा नकल रपट का संक्षिप्त विवरण अकिंत कर प्रतिलिपि रोजनामचा खास किया। बयान वशिष्ठ सिंह कुशवाहा, बयान छोटेलाल, बयान महेन्द्र प्रसाद, बयान दयाशंकर प्रपत्र की नकल किया एवं मु0 वशिष्ठ सिंह का बयान लिया। दिनांक 29.11.98 को पर्चा नं0–2 में वादी श्री वियोधन यादव एस.डी.एम. का बयान अंकित किया उन्होंने एफ.आई.आर. का समर्थन किया उसी दिन ग्राम पिपरवार जाकर गवाह दयाशंकर पुत्र साधूराम का बयान लिया तथा उन्हीं की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया मौके पर नक्शा नजरी तैयार कर नक्शा नजरी में आवश्यक विवरण अंकित किया। मौके पर मौजूद आये रामविलास, मोबिन, विमलेश तिवारी से पूछताछ कर समई साक्ष्य अंकित किया। नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा ग्राम भरौली जाकर गवाह महेन्द्र प्रसाद व छोटे लाल मिले बारी–बारी से उक्त दोनों लोगों का बयान अंकित किया। दिनांक 30.11.2998 को पर्चा नं0–3 में कस्बा घोरावल पहुंचकर खाद विक्रेता की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर अभियुक्त के पिता कांता सिंह कुशवाहा मिले उनसे खाद की दुकान का स्टाक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर मांगा गया। कुछ देर ना–नुकर करने के बाद दोनों रजिस्टर दिये जिसका अवलोकन करने के उपरांत समक्ष गवाहान हरिवंश सिंह, रामसुभग फद मुरत्तब कर दोनों रजिस्टरों को कब्जे में बावजह साक्ष्य किया गया। फर्द पढ़कर सुनाकर गवाहों के हस्ताक्षर कराया था। अभियुक्त के पिता कांता सिंह कुशवाहा ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। फर्द की नकल सी.डी. में किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इसके उपरांत फर्द के गवाहान हरिवंश सिंह पुत्र जगत नारायण सिंह, रामकुमार पुत्र कालीचरन का बयान अंकित किया। स्टाक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर को सी.डी. में नत्थी किया। दिनांक 07.05.1999 को पर्चा नं0–5 में उसके द्वारा पूर्व में दिनांक 30.11.1998 को इस मुकदमे में विधिक राय लेने हेतु द्वारा उचित माध्यम सी.डी. मय समस्त प्रपत्रों रजिस्टर जाति के साथ विधिक राय हेतु अभियोजन अधिकारी को अनुरोध पत्र भेजा गया था जो प्राप्त हुआ है जिसका विवरण इस सी.डी. में अंकित किया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट भेजे जाने का विवरण अंकित किया गया है। दिनांक 25.5.99 को पर्चा नं0–5 में अभियोजन स्वीकृति की नकल करने के उपरांत अभियुक्त वशिष्ठ सिंह पुत्र कांता सिंह कुशवाहा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उसके द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये जाने का विवरण अंकित किया गया है। आरोप पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

19. उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि दौरान विवेचना उसने खाद की दुकान का लाइसेंस किसके नाम था या दुकान कौन था इस बिन्दु पर विवेचना नहीं किया था। वशिष्ठ सिंह कुशवाहा द्वारा किसान दयाशंकर को डी.ए.पी. खाद नहीं बेचा था। दौरान विवेचना उसने डी.ए.पी. खाद व उसकी बोरी को नहीं देखा था और न ही उसे अपने कब्जे में लिया था। न ही उसने विक्री खाद की रसीद दिया था न तो दुकान से संबंधित कोई प्रपत्र लिया था।

20– अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को दिनांक 28.11.1998 को कस्बा व थाना घोरावल में एस.डी.एम. घोरावल वियोधन यादव ने बिना कैश मेमों व किसी प्रपत्र के अवैध रूप से मु0–470/–रू0 में खाद का विक्रय दयाशंकर को किया था,जिसे ले जाते हुए पकड़ा गया था। जिसके उसके द्वारा परीक्षित गवाहों ने साबित किया है।अतः अभियुक्त अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

21– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा कोई खाद की बोरी नहीं बेची गयी थी और न ही उसके द्वारा खाद की बोरी का मूल्य बढ़ा कर लिया गया और उस समय जो खाद का मूल्य निर्धारित था उसी पर खाद का विक्रय किया था। उसको झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। अतः दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

निष्कर्ष

22– अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 28.11.1998 को करीब 7.30 बजे शाम कस्बा घोरावल में एस.डी.एम. घोरावल श्री वियोधन यादव द्वारा किसान दयाशंकर यादव से डी.ए.पी. खाद के बाबत् पूछा गया कि खाद कहां से खरीदे कर लाये हो तो उसने कहा कि वह खाद वशिष्ठ सिंह कुशवाहा के दुकान से रू0 470/–प्रति बोरी की दर से खरीदा है, जो निर्धारित मूल्य रू0 420/– प्रति बोरी की दस से रूपये 50/– अधिक पर बेची गयी है।

23– अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–4 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्यपरीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि दिनांक 28.11.1998 को एस.डी.एम. घोरावल के पद पर तैनात थे। वह कस्बा घोरावल में समय लगभग 7.30 बजे शाम को थाना घोरावल की तरफ जा रहे थे कि एक किसान दयाशंकर अपनी साइकिल पर एक बोरी खाद डी.ए.पी. लिये थे उसे रोका और पूछा कि खाद कहां से और कितने का लिया है तो उसने बताया कि यह खाद उसने कांता सिंह कुशवाहा की दुकान से 470/–रू0 में खरीदा है। इस पर उसका बयान उन्होंने नोट कर लिया था और उसके साथ कान्ता सिंह कुशवाहा की दुकान पर पूछताछ के लिए गया। दयाशंकर के साथ दो महेन्द्र सिंह व छोटेलाल भी थे जिनके समक्ष उसने खाद खरीदा था। उक्त लोगों के साथ कांता सिंह कुशवाहा की दुकान पर गया जहां पर कांता सिंह के पुत्र वशिष्ठ कुशवाहा मिले उनसे पूछने पर बताये कि उन्होंने खाद 470/–रू0 में बेचा है। उक्त साक्षी ने जिरह में कहा कि उन्होंने दुकान का कोई भी प्रपत्र नहीं देखा था। विवेचक दौरान विवेचना उनसे नहीं मिले थे। उनकी निशानदेही पर विवेचक द्वारा नक्शा–नजरी तैयार नहीं किया गया है तथा विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उनका बयान नहीं लिया गया है। इस प्रकार यह विदित होता है कि किसान दयाशंकर के पास कांता सिंह कुशवाहा की दुकान से 470/–रू0 में डी.ए.पी. खाद खरीदने की कोई रसीद या कैशमेमों नहीं था और न ही साक्षी द्वारा कांता सिंह कुशवाहा की दुकान से खाद खरीदने का कोई कागजात ही बरामद किया गया है। गवाह द्वारा माल बरामद होने का कोई नमूना भी तैयार नहीं किया गया है और न ही फर्द बरामदगी ही बनायी गयी है तथा न ही बरामद माल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में साक्षी पी.डब्लू.–1 दयाशंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना का समर्थन किया है किन्तु उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य में कहा है कि उसके पास खाद वशिष्ट सिंह कुशवाहा के यहां से खरीदने का कोई कागजात नहीं था और न ही खाद को सील मोहर ही किया गया था। साक्षी पी.डब्लू.–2 ने अपनी जिरह में कहा है कि वह वशिष्ठ के दुकान में दयाशंकर के साथ खाद खरीदने नहीं गया था। अतः सम्पूर्ण साक्ष्यों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा न तो मु0–470/–रू0 में खाद खरीदने का कोई कागजात या कैशमेमों ही प्रस्तुत किया गया है तथा न फर्द बरामदगी तैयार की गयी है और न ही नमूना मोहर ही बनाया गया है तथा बरामद माल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही बरामद माल की कोई विवरण ही किसी भी साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। न तो माल न ही माल की बोरी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिससे खाद की खरीददारी

किया जाना ही साबित नहीं हो रहा है। चूंकि खाद की खरीददारी संदेह से परे साबित नहीं हो रही है। अतः खाद अधिक मूल्य पर बेचा जाना संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है। यदि पत्रावली में संलग्न रजिस्टर पूर्ण नहीं है तो उन्हें पूर्ण करना वशिष्ट के पिता कांता की जिम्मेदारी है, न कि वशिष्ट की, क्योंकि दुकन कान्ता के नाम थी न कि वशिष्ट के नाम। अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **वशिष्ठ सिंह कुशवाहा** को **मु0सं0–1280/2005, (अपराध सं0–124/1998)** थाना घोरावल, सोनभद्र में आरोप **अं.धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम** से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उसके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त कर जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दं.प्र.सं. के अनुपालन में मु. 20,000/– रू. का स्वबंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे। उक्त प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बंध पत्र छः माह के लिए वैध रहेंगे तथा छः माह व्यतीत हो जाने के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

दिनांकः31.03.2026

(आलोक यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।
(J.O. Code No.UP 2306)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः31.03.2026

(आलोक यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।
(J.O. Code No.UP 2306)